



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला – सरगुजा, (छ.ग.)

क्र०/ 1448 / एनएचएम/2021

अम्बिकापुर दिनांक 09/03/2021



प्रति,

जिला सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश अपलोड कराये जाने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिला प्रशासन - कलेक्टर सरगुजा के द्वारा जिले को 1 अप्रैल 2021 तक धूम्रपान मुक्त घोषित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन दिशा निर्देशों के तारतम्य में समस्त शिक्षण संस्थान, तम्बाकू विक्रय केन्द्र, समस्त शासकीय इमारतें/कार्यालय एवं समस्त सार्वजनिक स्थान के परिचालनकर्ता को निम्नलिखित बोर्ड लगाने की अनिवार्यता रहेगी। जिसे मानक मापदण्ड के अनुरूप ही प्रिंट किया जाना सुनिश्चित करें। बोर्ड को संबंधित संस्था के परिचालनकर्ता के द्वारा देय होगा। मानक बोर्ड का प्रिंट विनायल/पेपर/बैनर मटेरियल में मान्य होंगे। समस्त बोर्ड के प्रारूप वेबसाइट www.sarguja.nic.in में प्रकाशित के अनुरूप मल्टी कलर होने चाहिये।

1. समस्त शैक्षणिक संस्थान हेतु दो बोर्ड - धूम्रपान निषेध क्षेत्र एवं संस्थान के 100 गज की दुरी के अंदर तम्बाकू पदार्थ विक्री पर प्रतिबंध।
2. समस्त शासकीय इमारतें/कार्यालय एवं समस्त सार्वजनिक स्थान हेतु एक बोर्ड-धूम्रपान निषेध क्षेत्र।
3. तम्बाकू विक्रय केन्द्र हेतु दो बोर्ड- धूम्रपान निषेध क्षेत्र एवं 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तम्बाकू पदार्थ विक्रय पर प्रतिबंध।

संलग्न:- पत्र।

नोडल अधिकारी (NTCP)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

पृ० क्रमांक/ /एन.एच.एम /2016

अम्बिकापुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर सरगुजा की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
3. राज्य नोडल अधिकारी (NTCP) रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।

नोडल अधिकारी (NTCP)
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

अनुलग्नक

सिगरेट और अन्य तम्बाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और
व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का
विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA)
के तहत प्रदर्शित किये जाने वाले प्रमुख साईनेज

नोडल अधिकारी (NTCP)
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

शैक्षणिक संस्थान पर लगाये जाने वाले बोर्ड

60 सेमी

30 सेमी

**धूम्रपान रहित क्षेत्र,
यहाँ धूम्रपान करना
एक अपराध है।**

उल्लंघन करने पर 200/- रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।

अगर आपको इस परिसर में कोई भी धूम्रपान करते हुए दिखाई देता है तो कृपया निम्न व्यक्ति से शिकायत करें

श्री०/श्रीमती०पदनाम

फोन न०/ मोबाइल न० ईमेल

60 सेमी

30 सेमी

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम :

शिक्षण संस्थान का नाम :

- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सेमी X 30 सेमी एवं सफेद पष्ठीभूमि में होगा।
- इसमें एक 15 सेमी के बाहारी व्यास का 3 सेमी चौड़ा लाल रंग का चक होगा जिसके केन्द्र में काले धुंआ के साथ एक सिगरेट या बिडी की तस्विर होगी जो लाल रंग के बैंड या पट्टे से पार/कोस किया गया होगा।
- सिगरेट या बिडी की तस्विर को पार /कोस करने वाली लाल रंग की बैंड या पट्टी की चौड़ाई परिधि की चौड़ाई के बराबर होगी।
- बोर्ड में हिन्दी में "धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है" चेतावनी दी गई हो।

- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सेमी X 30 सेमी एवं सफेद पष्ठीभूमि में होगा।
- बोर्ड में हिन्दी में " इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वसलों पर 200/ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।" चेतावनी दी गई हो।

नेडल ऑफिसरी (NTCP)
अम्बिकापुर, मधुजा (छ.ग.)

समस्त विक्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बोर्ड



- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सेमी X 30 सेमी एवं सफेद पष्ठीभूमि में होगा।
- इसमें एक 15 सेमी के बाहारी व्यास का 3 सेमी चौड़ा लाल रंग का चक्र होगा जिसके केन्द्र में काले धुंआ के साथ एक सिगरेट या बिडी की तस्विर होगी जो लाल रंग के बैंड या पट्टे से पार/कोस किया गया होगा।
- सिगरेट या बिडी की तस्विर को पार /कोस करने वाली लाल रंग की बैंड या पट्टी की चौड़ाई परिधि की चौड़ाई के बराबर होगी।
- बोर्ड में हिन्दी में "धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है" चेतावनी दी गई हो।

- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सेमी X 30 सेमी एवं सफेद पष्ठीभूमि में होगा।
- बोर्ड में तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर दुःप्रभाव के सचित्र चित्रण के साथ हिन्दी में "18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है" चेतावनी दी गई हो।

समस्त सार्वजनिक स्थानों एवं शासकिय कार्यलय/इमारतों पर लगाये जाने वाले बोर्ड



- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सेमी X 30 सेमी एवं सफेद पृष्ठीभूमि में होगा।
- इसमें एक 15 सेमी के बाहारी व्यास का 3 सेमी चौड़ा लाल रंग का चक होगा जिसके केन्द्र में काले धुंआ के साथ एक सिगरेट या बिडी की तस्विर होगी जो लाल रंग के बैंड या पट्टे से पार/कोस किया गया होगा।
- सिगरेट या बिडी की तस्विर को पार /कोस करने वाली लाल रंग की बैंड या पट्टी की चौड़ाई परिधि की चौड़ाई के बराबर होगी।
- बोर्ड में हिन्दी में "धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है" चेतावनी दी गई हो।

नोडल अधिकारी (NTCP)
अम्बिकापुर, सपुजा (ब.ग.)